

उपराष्ट्रपति पद पर सीपी राधाकृष्णन का चुना जाना लगभग तय

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अब सरकार और विपक्ष के प्रत्याशियों के मध्य मुकाबला होना तय हो गया है। सरकार द्वारा सीपी राधाकृष्णनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इंडी ब्लाक ने भी सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस बार उपराष्ट्रपति के पद के दोनों ही प्रत्याशी एक ही प्रान्त तमिलनाडु से आते हैं। कांग्रेस व विरोधी दलों को लगा कि अगर एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन देश के नये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी राधाकृष्णन के माध्यम से दक्षिण विशेषकर तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक जमीन को सशक्त करने का प्रयास करेगी क्योंकि जब बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना प्रत्याशी बनाया था तब भाजपा को राजस्थान में राजनैतिक लाभ हुआ था और वहां उसकी सत्ता में वापसी हो गई थी। अब भाजपा ने सीपी राधाकृष्णन को अपना प्रत्याशी बनाकर तमिलनाडु की जनता व कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया है।

कौन है सीपी राधाकृष्णन- संसद के दोनों सदनों के वर्तमान अंकगणित के अनुसार एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का विजयी होना सुनिश्चित है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तथा दो बार कोयंबटूर से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही 1974 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर समाज सेवा के कार्यों में लग गए और बाद में उनके राजनैतिक जीवन का आरम्भ हुआ। सीपी राधाकृष्णन कुछ समय तक झारखंड के भी राज्यपाल रहे, वह झारखण्ड राज्य के सभी जिलों का दौरा करने वाले राज्यपाल हैं। सीपी राधकृष्णन तेलंगना के राज्यपाल व पुडुच्चेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल चुके हैं। सी पी राधाकृष्णन तमिलनाडु की राजनीति में 40 वर्ष तक सक्रिय रहे जिसका प्रतिफल अब उन्हें उपराष्ट्रपति पद के रूप में मिलने जा रहा है।

वह 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव नियुक्त हुए। 2004 में संयुक्तराष्ट्र महासभा में संसदीय प्रतिनिधमंडल के हिस्से के रूप में भाषण दिया और ताइवान की पहली संसदीय यात्रा में शामिल हुए। वह 2020 से 2022 तक केरल बीजेपी प्रभारी भी रहे। सीपी राधाकृष्णन एक बहुत अनुभवी तथा जमीनी कार्यकर्ता हैं जिन्हें इतना बड़ा उत्तरदायित्व प्राप्त हो रहा है।

सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए सभी भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद को मिटाने, समान नागरिक संहिता लागू करने, छुआछूत समाप्त करने और नषे के खतरे से निपटने जैसी मांगों को लेकर 93 दिनों में 19 हजार किमी लंबी रथयात्रा निकाली थी। माना जा रहा है कि भाजपा ने इस बार वैचारिक पृष्ठभूमि के नेता को प्राथमिकता दी है जिसका लाभ उसे दक्षिण की आगामी राजनीति में मिल सकता है।

चुनावी राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन के ओबीसी समाज से होने का लाभ भी बीजेपी को दक्षिण राज्यों के चुनावों में मिल सकता है। भाजपा अब कांग्रेस तथा विपक्ष के खिलाफ इस बात का माहौल भी बनाने का प्रयास करेगी कि विपक्ष ने ओबीसी समाज के प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति बनने से रोकने का प्रयास किया यद्यपि बीजेपी प्रत्याशी का जीतना तय है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 392 वोट चाहिए जबकि एनडीए के पास 422 वोट हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी चयन करते समय भी कांग्रेस व विपक्ष की दोहरी मानसिकता बेनकाब हो गई है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रामजन्मभूमि मंदिर का फैसला सुनाने वाले एक जज को राज्यसभा में भेजा था और एक को राज्यपाल बनाया था तब विपक्ष ने रिटायर्ड हो चुके जजों की नियुक्तियों का विरोध किया था और अब स्वयं ही एक रिटायर्ड जज को प्रत्याशी बना रही है।

अजब-गजब

गर्लफ्रेंड ने प्यार नहीं प्रेमी का किया सौदा, नर्क में युवक को धकेलकर कमाए 11 लाख



प्यार में इंसान एकदूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई भी धोखा ना दे! हालाँकि कई बार प्यार को लेकर हैरान करने वाले किस्से लोगों के बीच सामने आते रहते हैं। जिन्हें देखने के बाद लोगों को काफी ज्यादा हैरानी होती है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों चीन से सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की रहने वाली एक 17 साल की लड़की को 19 साल के लड़के से प्यार हुआ और इस प्यार का लड़की ने बाद में जाकर सौदा कर दिया। जिसके बदले उसे 11 लाख रुपये मिले।

डेली स्टार में आई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के झानजियांग निवासी, 19 साल के एक लड़के को एक 17 साल की गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया और उसे एक म्यांमार के एक ऑनलाइन स्कैमर गैंग के पास बेच दिया। इस पूरे किस्से को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके हनीट्रैप जैसा कुछ है। जहां उसे फैमली बिजनेस के नाम पर लड़की बहला-फुसलाकर उसे ले गई और उसे साइबर स्कैमर गिरोह के हाथों बेच दिया।

म्यांमार के साइबर क्राइम गिरोह ने लड़के को काफी ज्यादा टॉरेंट किया जाता था। जिस कारण उसका वजन दर्जनों पाउंड कम हो गया और उसकी सुनने की शक्ति भी लगभग खत्म हो गई। इसके बारे में जब परिवार के लोगों को पता चला तो उसे बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई गई और भारी फिरोती देने के बाद उसे अपने देश वापस लाया जा सका। परिवार वालों के अनुसार, स्कैमर उससे लोगों से पैसा ठगने के लिए कहते थे और उससे 20-20 घंटे काम करवाया जाता था।

लड़की की बहन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे भाई पर वहां काफी ज्यादा अत्याचार हुए है। उसे अंधेरे कमरे में ले जाकर लोहे की छड़ों से काँटों और कूल्हों पर मारा जाता था। जब हमें लोगों को इस बात की खबर लगी तो हमने स्कैमर से संपर्क किया और उन्हें 350,000 युआन (42,54,190 IS0 रुपये) का भुगतान किया। जिसके बाद मेरा भाई घर वापस आ सका। हालाँकि युवक की प्रेमिका को दस बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसदीय प्रणाली का औसत प्रदर्शन शर्म वाली बात है

नीरज कुमार दुबे

भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच संसद जनता के प्रतिनिधियों को नीति और विधायी कार्यों पर गहन विमर्श का अवसर प्रदान करता है। लेकिन आज संपन्न मानसून सत्र इसका विपरीत चित्र प्रस्तुत करता है। हम आपको बता दें कि लगभग एक महीने तक चले इस सत्र में लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 15 विधेयक पारित किए। कागज़ों पर यह भले उपलब्धि दिखती है, किंतु वास्तविकता यह है कि अधिकांश विधेयक बिना सार्थक चर्चा के शोर-शराबे और हंगामे के बीच पारित हुए।
दोनों सदनों में कामकाज की स्थिति वाकई काफी चिंताजनक रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार, 419 तारंकित प्रश्न सूचीबद्ध थे, किंतु बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण मात्र 55 प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर हो पाए। साथ ही जहां सत्र की शुरुआत में 120 घंटे चर्चा का लक्ष्य रखा गया था, वहीं विपक्ष के निरंतर गतिरोध के चलते सदन केवल 37 घंटे ही चर्चा कर सका। इसी तरह राज्यसभा का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। उपसभापति हरिवंश के अनुसार, सदन का कुल कामकाज मात्र 38.88 प्रतिशत ही हुआ और शुच्यकाल तथा प्रश्नकाल एक बार भी सामान्य तरीके से संचालित नहीं हो सका। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि संसदीय प्रणाली अपनी गुणवत्ता और प्रभावशीलता खोती जा रही है।
हम आपको याद दिला दें कि सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर की थी कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। बावजूद इसके, विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मुद्दों पर हंगामा करते हुए लगातार कार्यवाही ठप रखी। परिणामस्वरूप कई संसद, जो अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को उठाने की तैयारी के साथ संसद पहुँचे थे, अपनी बात रखने से वंचित रह गए। यह न केवल सांसदों की भूमिका को कमतर करता है बल्कि जनता की आकांक्षाओं को भी ठेस पहुँचाता है।
देखा जाये तो संसद का मूल उद्देश्य है—कानून निर्माण पर व्यापक चर्चा और विमर्श। चर्चा से कानून के पक्ष-विपक्ष, उसके प्रभाव और संभावित खामियों पर प्रकाश पड़ता है। किंतु हंगामे के बीच जब विधेयक संक्षिप्त औपचारिकता के बाद पारित होते हैं, तो उनकी गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों प्रभावित होती हैं। यह न केवल विधायी प्रक्रिया

ब्लॉग

विधेयक पर हंगामा क्यों, जब मुद्दा है राजनीतिक शुचिता का

ललित राग

गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरे नेता चाहे वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री ही क्यों न हो, उनकी गिरफ्तारी या हिरासत के बाद एक निश्चित अवधि बीत जाने पर हटाने की व्यवस्था वाले विधेयक को जब केन्द्र सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत किया तो ज़रूरत से ज्यादा हंगामा एवं विरोध समझ में नहीं आया। इस तरह ईमानदार, अपराधमुक्त राजनीति एवं चरित्रसम्पन्न-पवित्र राजनेताओं की पैरवी वाले विधेयक पर हंगामा लोकतंत्र की गरिमा को आहत करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने सुझबुझ का परिचय देते हुए अपनी ओर से इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया, अब तो विपक्ष को विरोध एवं हंगामे को विराम देते हुए इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी ईमानदार, समानतापूर्ण एवं आदर्श व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए, जिससे उच्च पदों पर बैठे नेताओं के गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी अथवा हिरासत में लिये जाने पर उनके लिये पद छोड़ना आवश्यक हो जाये? आखिर इस आदर्श व्यवस्था में समस्या क्या है? क्यों विपक्ष नैतिक एवं आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में अवरोधक बनकर अपने नैतिक चरित्र पर प्रश्न खड़े कर रहा है? क्या इस विधेयक का असर सत्तापक्ष के नेताओं पर नहीं होगा?
आजादी के बाद से कतिपय राजनीतिक विसंगतियों के चलते राजनीति में अपराधी तत्वों का वर्चस्व बना रहा है। जनता यह अपेक्षा करती है कि जिन्हें वह अपना प्रतिनिधि चुनती है, वे अपराधमुक्त, निष्कलंक, ईमानदार और चरित्रवान हों। परन्तु स्थिति इसके विपरीत दिखती रही है। एक ओर जनप्रतिनिधि अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं, दूसरी ओर वे पद से इस्तीफा देने या सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बजाय सत्ता की कुर्सी से चिपके रहते हैं। यही प्रवृत्ति जनता के विश्वास को तोड़ती है और राजनीति को संदेह के घेरे में डाल देती है। यह प्रश्न अब और गंभीर हो उठा है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को शासन और सत्ता के उच्च पदों पर बने रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या लोकतंत्र का आधार अपराध और भ्रष्टाचार पर खड़ा किया जा सकता है? निश्चित ही नहीं। जब तक राजनीति से अपराधी तत्वों का निष्कासन नहीं होगा, तब तक न तो सुशासन स्थापित हो सकता है न ही नया भारत, विकसित भारत एवं आदर्श भारत बन सकता है और न ही राजनीति के प्रति जनता का भरोसा लौट सकता है।
आज समय आ गया है कि नए कानून बनाकर राजनीति को अपराधमुक्त बनाने की दिशा में ठोस एवं कारगर कदम उठाए जाएं। यह केवल चुनाव सुधार का मामला नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा को बचाने का प्रश्न है। ऐसे प्रावधान होने



की गंभीरता को कम करता है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को भी आहत करता है।

इसके अलावा, जिस तरह अन्य क्षेत्रों में नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू है, उसी तरह सांसदों पर भी यह नियम लागू होना चाहिए। यदि वह जानबूझकर हंगामे और व्यवधान के कारण संसद का काम ठप करते हैं, तो करदाताओं के पैसों से मिलने वाले वेतन और भत्तों पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता। साथ ही, जिस तरह दागी नेताओं को एक माह तक जेल में रहने पर स्वतः उनका मंत्री पद समाप्त होने के प्रावधान वाला विधेयक पेश किया गया है उसी तरह लगातार हंगामा करने वाले सांसदों की सदस्यता स्वतः समाप्त करने पर भी गंभीर विचार होना चाहिए। यह लोकतंत्र को बचाने और संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

इसके अलावा, यह भी दिलचस्प रहा कि सत्र से पहले यह अपेक्षा थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के पद से हटाने की प्रक्रिया प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेगी। किंतु अप्रत्याशित रूप से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने इस मानसून सत्र को एक ऐतिहासिक राजनीतिक मोड़ दे दिया।

इसके अलावा, भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और पूरा राष्ट्र इस लक्ष्य की दिशा में गति पकड़ चुका है। लेकिन जब संसद में विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर व्यवधान डालते हैं, तो यह सीधे-सीधे विकसित भारत की राह में रोड़ा डालने जैसा है। देखा जाये तो विकास की गति केवल सड़कों, पुलों और उद्योगों से नहीं तय होती, बल्कि सुचारु और प्रभावी विधायी व्यवस्था से भी होती है। संसद ही वह स्थान है जहां नीतियों का खाका तैयार होता है, संसाधनों का प्रबंधन तय होता है और जनता की आवाज़ नीतियों में रूपांतरित होती है। यदि यही मंच बार-बार शोर-

है, जबकि विपक्ष इससे सहमत नहीं। उनकी असहमति अनेक प्रश्नों को खड़ा कर रही है कि आखिर विपक्ष दागियों की वकालत करते हुए वह स्वयं भी दागी क्यों बन रही है? आशंका जताई जा रही है कि यदि यह संशोधन पारित हो गया तो विपक्ष-शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री अस्थिर हो सकते हैं, उनके पद संकट में पड़ सकते हैं। दरअसल यह विरोध केवल विधेयक का नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक सुविधा, अपनी सत्ता बचाने और सुरक्षा का है। प्रश्न यह उठता है कि क्या विपक्ष वास्तव में अपराधमुक्त राजनीति नहीं चाहता? क्या केवल सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति को अपराधियों का अड्डा बनाए रखना आवश्यक है?

विपक्ष का तर्क है कि सरकार इस विधेयक का दुरुपयोग कर सकती है, और केवल आरोप लगाकर भी नेताओं को पद से हटाना जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में जब तक कानून कठोर और स्पष्ट नहीं होगा, तब तक राजनीति से अपराध का सफ़ाया संभव नहीं है। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप गलत सिद्ध होता है तो उसके लिए पुनः प्रतिष्ठा अर्जित करने के रास्ते खुले रहेंगे, परंतु गंभीर आरोपियों को शासन की कुर्सी पर बने रहने देना लोकतंत्र के साथ अन्याय है, उसकी मूल आत्मा को ध्वस्त करना है। ऐसा अरविन्द केजरीवाल ने पहली बार किया और जेल से ही सरकार चलाने का दम भरते रहे।

आज देश 'विकसित भारत' के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना केवल तकनीकी प्रगति या आर्थिक मजबूती से पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए स्वच्छ, ईमानदार और पारदर्शी राजनीति आवश्यक है। राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ न केवल लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है बल्कि जनता के विश्वास को भी तोड़ती है। अपराधमुक्त राजनीति न केवल आदर्श है बल्कि सुशासन और विकास की बुनियादी शर्त है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे विधेयक का स्वागत किया जाए, क्योंकि यह राजनीति को शुचिता, नैतिकता और जनहित के मार्ग पर ले जाने का प्रयास है। राजनीति में एक नये सूरज का उदय है। विपक्ष यदि इसका विरोध करता है तो यह सवाल स्वतः उठता है कि क्यों विपक्ष अपराधमुक्त राजनीति का विरोध करके अपराधियों का संरक्षण कर रहा है? क्या उसे अपने ही दागी नेताओं के लिए भय है? लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने के लिए यह विधेयक समय की मांग है। नया भारत तभी विकसित भारत बनेगा जब उसकी राजनीति अपराधियों से मुक्ति होगी। अपराधमुक्त राजनीति से ही सुशासन आएगा, ईमानदार नेतृत्व पनपेगा और जनता के बीच विश्वास की नई रोशनी जगेगी। यही लोकतंत्र की असली जीत होगी।



यथास्थिति बनी रहे... सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

आर्यावर्त संवाददाता

संभल। उत्तर प्रदेश की संभल मस्जिद मामले में 25 अगस्त तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया है। जस्टिस पीएसन रसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंडुरकर की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 मई के आदेश के खिलाफ संभल मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हिन्दु पक्षों की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा था कि संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमा प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट के तहत नहीं आएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि चुनौती हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष को लेकर है कि यह मुकदमा प्लेसेस



ऑफ वरशिप एक्ट के तहत नहीं आएगा। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि क्या इस मामले को प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट से संबंधित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाना

चाहिए।

हिंदू पक्ष ने क्या दिया तर्क?

हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील

दी कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित मुद्दा ही नहीं उठता। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि संभल मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित एक स्मारक है, इसलिए यह अधिनियम के दायरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि वादी केवल स्मारक तक पहुंच की मांग कर रहे हैं।

जैन ने आगे दलील दी कि कोर्ट की एक अन्य पीठ ने आज एक आदेश पारित किया है कि एएसआई की ओर से संरक्षित एक स्मारक प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट नहीं आता। इसके बाद पीठ ने जैन को सोमवार को इस आदेश पेश करने को कहा। जस्टिस नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित करते हुए कहा कि हम उस आदेश को देखेंगे। हम असंगत आदेश पारित नहीं करना चाहते। तब तक

यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है।

हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी मस्जिद समिति की याचिका

हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 19 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें मस्जिद परिसर की स्थानीय जांच के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया था। पिछले साल नवंबर में आयुक्त के मस्जिद दौरों के कारण इलाके में संप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में निचली अदालत की कार्यवाही पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक कि हाई कोर्ट मस्जिद समिति की चुनौती पर फैसला नहीं सुना देता।

जरूरतमंदों के लिए संजीवनी बना राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ

सुलतानपुर। समाजसेवा की असली मिसाल पेश कर रहा राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ पिछले तीन वर्षों से बिना किसी अवरोध के सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा है। यह सेवा स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालय के मरीजों-तौमारदारों के साथ-साथ रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों तक निरंतर पहुंच रही है। इस पुनीत कार्य से न केवल भूखे पेटों को सहारा मिल रहा है बल्कि समाज में सहयोग और संवेदनशीलता का संदेश भी जा रहा है।

संघ के अध्यक्ष मेराज अहमद खान के संयोजन और वरिष्ठ समाजसेवी निजाम खान के मार्गदर्शन में यह अभियान प्रत्येक गुरुवार को संचालित होता है। निजाम खान का कहना है कि यह कार्य पूरी तरह जन सहयोग से संचालित है। सहयोगकर्ताओं की मदद से शुद्ध, पौष्टिक और गुणवत्ता वाला ताजा भोजन तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है।

आर्यावर्त संवाददाता

उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक महिला ने अपने ही पति को मार डाला। वो भी बेटी के साथ मिलकर। कारण था, दोनों के चाल चलन से पति परेशान था। वो दोनों को टोकता रहता था। इससे घर पर आए दिन विवाद होते थे। दोनों मां-बेटी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई जारी है।

मामला अजगैन कोतवाली क्षेत्र के सिंघनापुर गांव का है। यहां रहने वाले 46 साल के राजेश कुमार का शव गुरुवार अल सुबह पांच बजे घर के अंदर जीने के पास लहलुहान हालत में पड़ा मिला। मृतक की पत्नी कामिनी की सूचना पर पुलिस ने जांच की तो पत्नी ने शराब के नशे में जीने के पास गिरने से मौत की बात बताई। मगर पुलिस को शक हुआ, क्योंकि गले में और आंख में चोट के निशान थे। यही नहीं, रिश्तेदारों ने भी महिला पर ही शक जताया।

पुलिस ने तब आनन-फानन मां-बेटी को हिरासत में ले लिया। सूचना

पर आए मृतक के ममेरे भाई संतोष बाबू ने पुलिस को बताया कि राजेश को अपनी बीबी और बेटा का चालचलन पसंद नहीं था। इसी के चलते वह विरोध करते थे। उनकी पत्नी कामिनी को उनसे अधिक मतलब नहीं था। वह सिर्फ पैसें के लिए राजेश के साथ थी। राजेश पर पांच बीघा जमीन बेचने का भी आरोप लगा रही थी। बेटी काजल के साथ मिलकर कामिनी आए दिन राजेश को पीटती भी थी। बेटे ने भी मां पर और बहन पर ही पिता की हत्या का शक जताया था। सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि के बाद मां-बेटी पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि शव दफन नहीं हो पाया। वह प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी कराई जाएगी।

संतोष बाबू ने बताया कि राजेश कुमार मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते थे। डेढ़ महीने पहले वह घर आए थे। पत्नी और बेटी का चाल-चलन सही न देख उन्होंने विरोध शुरू किया था।

इस पर 29 जुलाई की रात पत्नी और बेटी ने राजेश को पीटा भी था। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे मलिहाबाद ले जाकर इलाज कराया था। बाद में उन्होंने फिर घर जाने की बात कही थी तो छोड़ दिया था।

चार बच्चों के पिता था राजेश कुमार

मृतक के बड़े बेटे आशीष को भी पिता के साथ हुई हरकत अच्छी नहीं लगी थी। इस पर छह दिन पहले उसने खुद मुंबई जाने की बात कहकर पिता को घर पर ही रोक दिया था। घटना की सूचना मिलने के बाद वह मुंबई से चला है। मृतक राजेश के चार बच्चों में आशीष, प्रिंस, बेटी काजल और सेजल हैं। पिता की मौत और मां और बहन पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब प्रिंस, काजल और सेजल पर परवरिश का संकट खड़ा हो गया है। अभी तक कोई भी रिश्तेदार उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस ही अभी उनका सहारा है।

डीएम के आदेश को टेंगा, घोटालेबाजों को संरक्षण

» हंडंप रिबोर के नाम पर दुबेपुर ब्लॉक के चकरपुर गांव में 10 लाख रुपये से अधिक का घोटाला

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। दुबेपुर ब्लॉक के चकरपुर गांव में हंडंप रिबोर के नाम पर 10 लाख रुपये से अधिक के घोटाले की जांच जिलाधिकारी के आदेश पर भी नहीं शुरू हो सकी है। जबकि ग्रामीणों ने इस गंभीर मामले की शिकायत शपथपत्र के साथ जिलाधिकारी को सौंपी थी।

सूत्रों के अनुसार, जिलाधिकारी ने जांच का जिम्मा डीपीआरओ को सौंपा, लेकिन डीपीआरओ ने पारदर्शी जांच कराने के बजाय अपने चहेते और "घोटाले दबाने के माहिर" माने जाने वाले जिला उद्यान अधिकारी को जांच अधिकारी नामित कर दिया। हैरत की

बात यह है कि आदेश जारी हुए महीनों गुजर जाने के बावजूद जिला उद्यान अधिकारी अब तक गांव जांच करने तक नहीं पहुंचे।

ग्रामीणों का आरोप है कि घोटाले में शामिल ग्राम प्रधान व जिम्मेदार अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। यही नहीं, इस तरह के हंडंप रिपोर्ट घोटाले का अंदेशा दुबेपुर ब्लॉक के अन्य गांवों में भी जताया जा रहा है, जहां लाखों-करोड़ों रुपये की बंदरबांट हुई होने की संभावना है।

‘डीपीआरओ पर उठ रहे सवाल’

लोगों का कहना है कि डीपीआरओ खुद डीएम की शक्ति को नजरअंदाज कर किसी माननीय के इशारे पर घोटाले को दबाने में जुटे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि गांव-गांव में होने वाली इस तरह की बंदरबांट पर रोक लग सके।

आर्यावर्त संवाददाता

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से अस्पताल में एक महिला नर्स से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप अस्पताल के अधीक्षक पर लगा है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सरेनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का है, जहां पर तैनात एक महिला स्टॉफ नर्स ने अधीक्षक डॉ। राजेश गौतम पर छेड़छाड़ और अभद्रता का आरोप लगाया है।

पीड़िता का आरोप है कि अधीक्षक रात में उन्हें अपने कमरे में बुलाते हैं और वहां पर गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। विरोध करने पर न केवल अभद्रता की जाती है, बल्कि बार-बार फोन करके परेशान भी किया जाता है। नर्स ने कहा है कि अगर ऐसा ही



वातावरण रहा तो वह नौकरी जारी नहीं रख पाएंगी। उसने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

आरोपी अधीक्षक पर सख्त कार्रवाई की मांग

पीड़िता की मांग है कि आरोपी अधीक्षक पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और महिला कर्मचारी को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। वहीं, जब इस

विषय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ। नवीन चंद्रा से बात की गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उनका कहना था कि मामला गंभीर है और इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

क्या बोले आरोपी डॉक्टर?

एक ओर जहां पीड़िता इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है, वहीं दूसरी ओर विभाग के जिम्मेदार

मणि महेश कैलाश यात्रा से वापसी पर श्रद्धालुओं का हुआ स्वागत

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में शामिल व कठिन यात्राओं में से एक हिमाचल प्रदेश के बुद्धिल घाटी में भरमौर से 21 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13385 फीट ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश कैलाश यात्रा श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से एक बड़ी आस्था की यात्रा रही है, मान्यता है कि भगवान शिव मणिमहेश के कैलाश शिखर पर निवास करते हैं जो मणिमहेश झील से दिखाई देता है। यह यात्रा नवीं शताब्दी में स्थानीय राजा राजा साहिल वर्मन द्वारा भगवान शिव का दर्शन प्राप्त होने के बाद शुरू हुई थी और उन्होंने ही मणिमहेश झील पर मंदिर स्थापित करवाया था। इस यात्रा के लिए फिटनेस टेस्ट भी अनिवार्य रूप से कराना पड़ता है,सेनजीत कसौधन दाऊ कैलाशी ने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार ने स्वच्छता



बनाए रखने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को भी बहुत कड़ाई से लागू किया था। रजनीश बरनवाल का कहना था कि यात्रा कठिन जरूर है लेकिन हर बढ़ता कदम उत्साहित करता है। सुल्तानपुर पहुंचने पर दल में शामिल श्रद्धालुओं पवन कुमार साव, सेनजीत कसौधन दाऊ, रवि

कसौधन, रजनीश बरनवाल, सिंपल बरनवाल, अजय रावत, अंकित अग्रहरि, शैलेंद्र अग्रहरी, सत्यम बरनवाल, दुर्गेश मोदनवाल, शारदा मोदनवाल का शंकर लाल कैलाशी, आलोक सागर, अमित दीपू आदि ने पुष्पवर्षा के साथ अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया।

दो बीवियां, तीन बच्चे, और तीसरी दुल्हन की एंट्री : लखनऊ के दूल्हे ने भिड़ाया ऐसा तिकड़म, शादी भी की और...



बढ़ता ही चला गया।

फिर एक दिन युवक ने युवती से कहा- मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। युवती को भी वो युवक काफी पसंद था। इसलिए उसने शादी के लिए हां कर दी। दोनों ने फिर आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी की। उसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हनिया के यहां रहने लगा। मगर दुल्हन नहीं

जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दूल्हा एक-एक करके दुल्हन के घर से दो स्कूटी लेकर भाग गया।

जब दुल्हन ने पाया कि दूल्हा घर पर नहीं है तो उसने उसे फोन किया। मगर मोबाइल बंद था। दुल्हन उसे तलाशने लगी। तब दुल्हन को पता चला कि दूल्हा को फर्जी था। उसने

उसे धोखा देकर शादी की थी। दूल्हे की पहले से ही दो बीवियां और तीन बच्चे हैं। दूल्हे का मकसद सिर्फ दुल्हन के घर से चोरी करना था।

दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज

रोते-बिलखते फिर दुल्हन थाने में पहुंची। फिर यहां उसने दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बताया कि कैसे इंस्टाग्राम पर दूल्हे ने उसे फंसाया और शादी की। दुल्हन बोली-साहब! उसने मेरे साथ धोखा किया है। मैं चाहती हूं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले।

शातिर दूल्हे की तलाश जारी

महानगर थाने ने मामला दर्ज कर अब शातिर दूल्हे की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा- हम जल्द ही दूल्हे को गिरफ्तार कर लेंगे। ये भी पता लगाया जा रहा है कि और कितनी महिलाओं को उसने अपना शिकार बनाया है। मामले में जांच जारी है।

ग्रामीणों की जिंदगी नरक बना रही है सूदखोरी

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोरों की बल्ले-बल्ले हो गई हैं। सरकारी बैंक होने के बावजूद गांवों में ये अवैध साहूकार गरीब और जरूरतमंदों को अपनी क़ूर शलौ पर कर्ज देकर उन्हें बर्बादी के दलदल में धकेल रहे हैं। ये लोग जरूरतमंदों से 5p से 10p तक मासिक ब्याज वसूल रहे हैं, जो कि पूरी तरह अवैध है और 'मनी लेंडर्स एक्ट' के तहत स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध है।

सूदखोरों के मक्कारी और ठगी के शिकार गरीब, समय पर किस्त न चुका पाने पर जमीन और जेवर भी गंवा देते हैं। सूदखोर मानसिक प्रताड़ना की हदें पार कर देते हैं। कई मामलों में तो गरीबों ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन दोषियों के खिलाफ न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही प्रशासन ने सुध ली। यह एक ऐसा जटिल समस्या है जिसमें किसान/गरीब व्यक्ति जब

सूदखोर महाजन के मकड़जाल में फंस जाता है तो ब्याज पर ब्याज का कर्ज उतारते वह बर्बाद हो जाता है। जबकि अनैतिक ब्याज कानूनन अपराध है। जिसे शासन व प्रशासन में बैठे जिम्मेदार भी इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। अवैध ब्याजखोरों के प्रति प्रशासन और शासन की चुप्पी इस गैरकानूनी धंधे को बढ़ावा दे रही है। बल्दीराय तहसील ही नहीं पूरे जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ,सूदखोरों का मकड़जाल मजबूती से फैला हुआ है। ब्याजखोरों के राजनैतिक और व्यक्तिगत प्रभाव के चलते प्रशासन की चुप्पी ,इस धंधे को और बढ़ावा दे रहे हैं। यदि अब भी शासन जाग जाता है और अवैध सूदखोरों की पहचान करके, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे तो गरीब लोगों को न्याय मिलेगा तो वहीं सरकार को ऐसे अपराधियों और अपराध पर शिकंजा कसने से पीड़ित लोग अनुचित प्रताड़ना से बच जाएंगे।

अधर्म के रास्ते से बेहतर है मौत इमाम हुसैन ने दिया था पैगाम



आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। वक्फ इमामबाड़ा हयातनगर में ब्रस्पतिवार को रात 8 बजे मजलिस को खेताब करते हुये मौलाना डॉ कमर अब्बास रिजवी ने कहा कि इमाम हुसैन ने शहादत देकर इतना बड़ा पैगाम दिया कि अधर्म के मार्ग पर चलने से बेहतर है मौत

इमाम हुसैन शहीद हो कर भी ज़िंदा है और अधर्मी शासक यजीद का नाम लेवा तक कोई नहीं है और मौलाना ने अली अकबर की दर्दनाक शहादत का मंजर बयान की। जिसे सुनकर मजलिस में बैठे लोग फूट फूट कर रोने लगे मजलिस के बाद शबोह ताबूत अली अकबर की ज़ायरत

कराई गई और मुल्क के मशहूर नोहाख्बान जनाब फैशल नोवेद ने अली अकबर के हाल का दर्दभरा नोहा पढ़ा जिसे सुनकर लोग खूब रोये मजलिस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे यह जानकारी कमेटी तमन्ना ए मूसा के अध्यक्ष क़ायम मेहदी चाँद ने दी।

एमसीयू सत्रारंभ कार्यक्रम 'अभ्युदय' का समापन

ऐसी कहानियां लिखें जो मनोरंजन करें: विपुल के. रावल

भोपाल। सिनेमा की विभिन्न विधाओं में लिखने वाले लेखक देश को देखने और समझने के बाद ही अलग-अलग विषयों का समावेश कहानियों में करते हैं। हमारे देश में कहानियों और उनके विषयों की कोई कमी नहीं है। समाज में अलग-अलग दौर में फिल्मों की कहानियां कैसे लिखी गई हैं, इसे पिछले अनेक दशकों की फिल्मों को देखकर समझा जा सकता है। यह विचार आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के 'अभ्युदय' के अंतिम दिन 'रुस्तम' तथा 'इकबाल' जैसी चर्चित फिल्मों के पटकथा लेखक श्री विपुल के. रावल ने व्यक्त की। सत्रारंभ के अंतिम दिन वरिष्ठ पत्रकार श्री अनंत विजय, श्री बृजेश कुमार, श्री बालकृष्ण एवं सुश्री अदिति राजपूत ने विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों को सम्बोधित किया।

पटकथा लेखक श्री रावल ने भारतीय फिल्म उद्योग और वैश्विक सिनेमा के विकास की यात्रा पर चर्चा करते हुए फिल्म लेखन के



क्षेत्र में आ रहे महत्वपूर्ण बदलावों को रियल लाइफ से जुड़े विषयों की कहानियों के साथ प्रस्तुत करते हुए लेखन एवं तकनीक के अन्तरसम्बन्धों पर चर्चा की। सत्र में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय ने कहा कि फिल्मों की कहानियां हमारी भावनाएं ही होती हैं। अगर हम गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सिनेमा की अधिकतर कहानियों में रामकथा की प्रेरणा होती है, क्योंकि रामकथा हमारे मन में रची-बसी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जन माध्यमों में आज फिल्म समीक्षा किसी फिल्म की व्याख्या बनकर रह गई है, उसमें विश्लेषण एवं विवेचना का अभाव स्पष्ट झलक रहा है।



कन्वर्जेंस के हिसाब से खुद को अनुकूल किया। श्री सिंह ने कहा कि आज डिजिटल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है और इसने दूसरे माध्यमों को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी है। अपने संपादन में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल का बाजार बहुत बड़ेगा इसके साथ ऑरिजिनल कंटेंट की मांग बढ़ेगी, अतःविद्यार्थी अपनी स्किल्स को बेहतर करने पर ध्यान दें।

इस सत्र के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार श्री बालकृष्ण ने मीडिया की विश्वसनीयता और ब्रांडकार्टिंग पर अपने वक्तव्य में बताया कि किस तरह गलत सूचनाओं



ने मीडिया में फैक्ट चेकिंग की मांग बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि किस तरह डिजिटल फ्राँड देश भर में बढ़ रहे हैं। अपने व्याख्यान में उन्होंने मीडिया में विजुअल इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट चेकिंग पर बात करते हुए युवा तकनीक के साथ जुड़े रहे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा एवं एनडीटीवी की एंकर अदिति राजपूत ने कहा कि मीडिया आज एक शक्तिशाली उपकरण है इसमें समाज को परिवर्तन करने की शक्ति है पर निश्चित तौर पर इसके कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अध्ययन पर जोर देने और नए कौशल सीखने की बात कही।

सेंसर टेक्नालॉजी पर अपनी बात रखते हुए ड्रोन टेक्नालाजी विशेषज्ञ चिराग जैन ने कहा कि मीडिया क्षेत्र से जुड़ी तकनीक का बेहद विकास हुआ है। पिछले कुछ दशकों में यह यात्रा प्रिंट मीडिया से होती हुए बेहरीन कैमरों और ड्रोन तकनीक तक विस्तृत हो गई है। ड्रोन तकनीक का समाज में उपयोग बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने अपने स्टॉर्टअप से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया। इस सत्र में उपस्थित अधिवक्ता शिखा छिब्बर ने भारतीय न्याय संहिता के नवीन पहलुओं पर अपना संवोधन दिया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य हर आम आदमी को न्याय देना है। उन्होंने बताया कि मीडिया के विद्यार्थियों के लिए नए कानूनों और उनके प्रावधानों का जानना बहुत जरूरी है।

विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा और वर्तमान में कालिंदी कॉलेज, नई दिल्ली की एसोशिएट प्रोफेसर डॉ. निधि अरोड़ा ने

विश्वविद्यालय से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।उन्होंने कहा कि सफलता हमेशा आपका साथ देगी जब आप पूरी सामर्थ्य से उसे करेंगे। सिनेमा अध्ययन विभाग की पूर्व छात्रा और फिल्मकार सरिता चौरसिया ने फिल्म की दुनिया में कैरियर कैसे शुरू करना और विश्वविद्यालय से जुड़े अपने अनुभवों पर अपने विचार रखे।

समापन सत्र में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक पांडे ने कहा कि अधिकार एवं कर्तव्य एक साथ होते हैं, सत्य को समाज के सामने बिना किसी रंग के रखना पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के धर्म का पालन करना पत्रकारों का उत्तरदायित्व है इस अवसर पर कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि हमारे जीवन में कदम कदम पर हमें चौकाता है। जीवन चमत्कृत करने वाली कई घटनाओं से भरा हुआ होता है। उन्होंने कहा कि सत्रारंभ में आए विशेषज्ञों के दिए गुरु मंत्र विद्यार्थियों के लिए

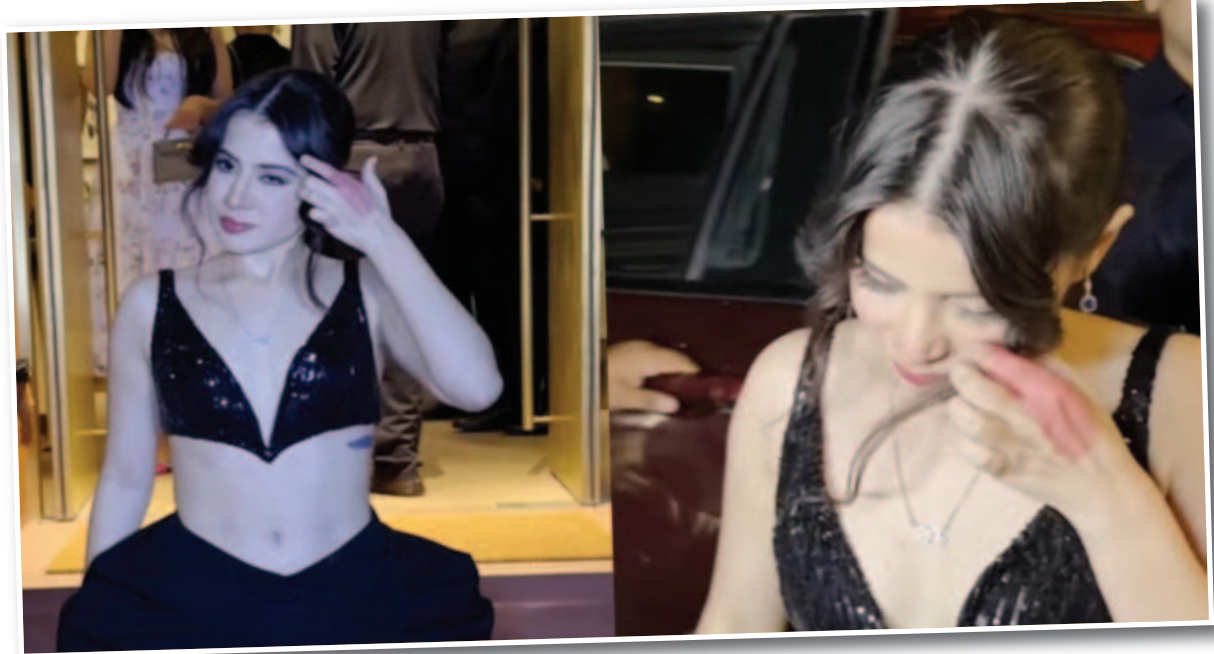
जीवन भर काम आने वाले हैं। उन्होंने आह्वान किया कि आगामी 20 वर्षों में देश स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे करेगा और इस दौरान विकसित भारत का स्वप्न युवा विद्यार्थियों के योगदान से ही पूरा हो सकता है।

सत्रारंभ के तीसरे दिन सिनेमा अध्ययन विभाग के सत्र के दौरान वर्ष 2025 में फिल्म प्रोडक्शन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उत्सव ठाकुर की स्व. श्री अनिल चौबे स्मृति पदक एवं 21000 रुपये की राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर श्रीमती आराधना चौबे उपस्थित थीं। विभिन्न सत्रों का संचालन डॉ. गजेन्द्र अवास्या, डॉ. सुनीता द्विवेदी, श्री राहुल खंडिया द्वारा किया गया। इस दौरान विभागाध्यक्ष प्रो. पवित्र श्रीवास्तव, डॉ. मोनिका वर्मा, प्रो. मनीष माहेश्वरी एवं समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षक एवं अधिकारी उपस्थित थे। अंत में आभार विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रोफेसर पी. शशिकला ने किया।

ब्लैक ड्रेस में नजर आई उर्फी जावेद,

हाथ पर चोट के निशान ने खींचा ध्यान; देखें वायरल वीडियो

उर्फी जावेद अपने अतरंगी अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर हैं। हाल ही में वह एक अलग तरह की ब्लैक ड्रेस में स्पॉट हुईं। पैपराजी को पोज देते हुए उनकी हाथ पर एक चोट का निशान नजर आया। आखिर क्या हुआ उर्फी जावेद को?



‘ट्रेटर्स’ जैसे रियलिटी शो को जीतने के बाद उर्फी जावेद अपने पुराने काम में बिजी हो गईं। वह अतरंगी किस्म की ड्रेस पहनकर मुंबई में नजर आती हैं और पैपराजी भी तब-जब इस इंप्लुएंसर की तस्वीरें क्लिक करते दिखाई देते हैं। हाल ही में उर्फी जावेद एक ब्लैक ड्रेस की क्लिपटव ड्रेस में दिखाईं। लेकिन ड्रेस ज्यादा ध्यान उर्फी के हाथ की चोट ने खींचा है। उर्फी का चोट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

हाथ पर नजर आया लाल रंग का चोट जैसा निशान

वायरल वीडियो में उर्फी गाड़ी से निकलती हैं तो एक ब्लैक ड्रेस में नजर आती हैं, जो अलग ही ढंग से बनी थी। वह मुस्कुराते हुए पैपराजी को पोज देती हैं। इस बीच अचानक हाथ पर लाल रंग का निशान नजर आता है। देखकर लगता है कि यह चोट या जलने का निशान है।

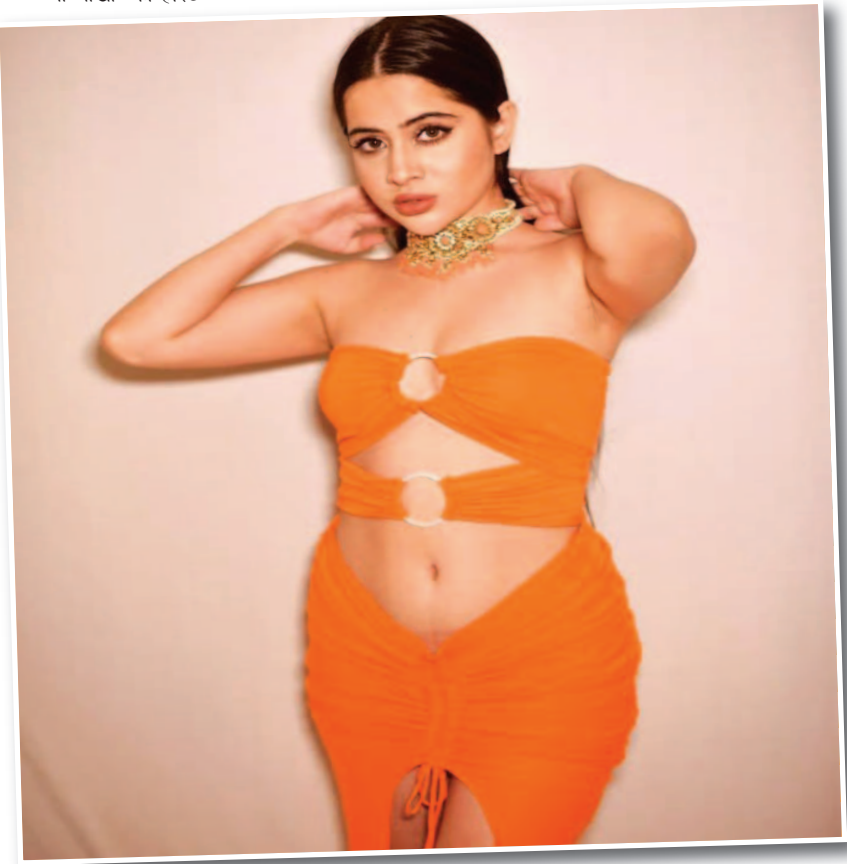
यूजर्स ने किया ड्रेस को लेकर ट्रोल

सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उर्फी के इस वीडियो पर रिएक्शन दिया है। एक यूजर लिखता है, ‘इस ड्रेस को क्या नाम दूं, साड़ी या अधूरी साड़ी।’ एक अन्य यूजर ने कमेंट लिखा, ‘ये ड्रेस है?’ जहां कुछ लोगों ने उर्फी की ड्रेस पर तंज कसा, वहीं कुछ यूजर्स ने फायर इमोजी उर्फी के लिए शेयर किए।

कई रियलिटी शो कर चुकी है उर्फी जावेद

उर्फी जावेद के करियर की बात करें तो पिछले साल उनकी लाइफ पर एक रियलिटी शो ‘फॉलो कर लो यार’ बना था। इस साल वह शो ‘एंगेज्ड रोका था धोखा’ को होस्ट

करती दिखाईं। हाल ही में रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ में नजर आईं। सोशल मीडिया पर तो उर्फी एक्टिव रहती ही हैं।



सत्यराज की एक्शन ड्रामा त्रिबंधरी बर्बरीक का

दिमाग हिला देने वाला ट्रेलर रिलीज

सत्यराज, जो अपनी गतिशील स्क्रीन उपस्थिति और पैक्ड स्र्टिंग शेड्यूल के लिए जाने जाते हैं, एक अभूतपूर्व प्रोजेक्ट के लिए कमर कस रहे हैं, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया है, एक गहन एक्शन ड्रामा, पौराणिक तत्वों से भरपूर, जिसका शीर्षक त्रिबंधरी बर्बरीक है। अपनी तरह के पहले सिनेमाई अनुभव के रूप में प्रचारित, इस फिल्म ने पहले ही अपने अनूठे आधार और हड़ताली प्रचार सामग्री के साथ महत्वपूर्ण चर्चा पैदा कर दी है। टीजर और साउंडट्रैक को शुरुआती झलक के अनावरण से, त्रिबंधरी बर्बरीक ने लगातार प्रत्याशा का निर्माण किया है। बड़े पैमाने पर ट्रैक इस्क्रिप्टडी उस्किथडी, विशेष रूप से वायरल हुआ। मोहन श्रीवत्स के निर्देशन में, फिल्म पौराणिक भव्यता और हार्दिक कहानी कहने का एक अनूठा मिश्रण पेश करने का वादा करती है। वानरा सेल्युलाइड के वैनर तले विजयपाल रेड्डी आदिधला द्वारा निर्मित, मारुति टीम प्रोडक्ट प्रस्तुत करते हुए, फिल्म का ट्रेलर आज लॉन्च किया गया है।

भगवान कृष्ण और बर्बरीक के बीच धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत युद्ध पर विचारोत्तेजक संवाद, ट्रेलर की शुरुआत को चिह्नित करता है। जैसे-जैसे दृश्य वर्तमान समय में बदलते हैं, हम एक सौम्य दादा को देखते हैं, जिसका किरदार सत्यराज ने निभाया है, जो अपनी प्यारी पोती के रहस्यमय ढंग से गायब



होने से व्यथित है। यह पीड़ा उसके भीतर एक प्राचीन, बर्बरीक की आत्मा को प्रज्वलित करती है, क्योंकि वह धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के मिशन पर निकल पड़ता है।

मोहन श्रीवत्स ने पौराणिक कथाओं को एक मनोरंजक वर्तमान कथा में पिरोकर एक बेहतरीन संतुलन बनाया है। सत्यराज ने एक कमजोर दादा और एक दिव्य योद्धा के बीच सहजता से बदलाव लाते हुए एक सशक्त अभिनय किया है।

उदय भानु खलनायक की भूमिका में दमदार प्रभाव छोड़ते हैं, जबकि सत्यम राजेश, वशिष्ठ

एन. सिन्हा और सांची राय एक सम्मोहक कलाकार हैं। कुशेंद्र रमेश रेड्डी के दृश्य समृद्ध और भावपूर्ण हैं, जो इन्स्पेजुन बैंड के जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर से मेल खाते हैं।

वानर सेल्युलॉइड के ठोस उत्पादन मूल्यों के साथ, त्रिबंधरी बर्बरीक एक नए तरीके से भावना, पौराणिक कथाओं और कार्रवाई का एक आदर्श मिश्रण पेश करने का वादा करता है।

यह फिल्म 22 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार हो रही है और इस मनमोहक ट्रेलर के साथ इसकी चर्चा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है।

